



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प भीम

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लक्ष्मणिया व भूअभिनि. कलडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भीम / नायब तहसीलदार भीम की अनुशंघा के आधर पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उपमा करकामा तहसील भीम व जिला राजसमन्द की जमाबंदी सम्वत् १०76-१०79 में खाता संख्या 142, 143, 177 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>उपमा करकामा</u>	<u>142, 143, 177</u> <u>178</u>	<u>मीनादेवी पुत्री</u> <u>जेठसिंह रावत</u>	<u>मीनादेवी पुत्री</u> <u>जेठसिंह रावत</u>

(Shor)
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर
दिनांक:-

क्रमांक:- १०२६/६९
प्रतिलिपि:-

01. तहसीलदार भीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
02. प्रार्थी श्री मीनादेवी पुत्री जेठसिंह को सूचनार्थ।
03. रक्षित पत्रावली।

(Shor)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर